The salient features of the scheme are as under:

1. banks and financial institutions are required to submit to RBI by 15th April and October every year, the details of the borrowal accounts which have been classified as doubtful, loss and suit filed with outstandings aggregating Rs. 1 crore and above;

2. RBI will circulate to the banks and financial institutions the above information on the defaulters;

3. based on the information received from banks and financial institutions, RBI will publish every year the list of suit filed accounts. It will also update the list half-yearly.

जब्त की गयी वस्तुओं का सीमा शुल्क विभाग के गोदामों में पड़ा होना

2711. **श्री आस मोहम्मद:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं की बहुत बड़ी मात्रा विभिन्न सीमा शुल्क डिपुओं और गोदामों में पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये ऐसे सामान का ब्यौरा क्या है जो कि मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में सीमा शुल्क विभाग के गोदामों में पड़ा है; और

(ग) जब्त किये गये सामान के अनुरक्षण के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) जब्तशुदा कीमती माल को सशस्त्र सुरक्षा के अंतर्गत लाकरों/मूल्यवान वस्तुओं को रखने के विभागीय गोदामों/सरकारी खजाने में तब तक रखा जाता है जब तक इसका अन्तिम रूप से निपटान नहीं हो जाता है।

30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार, सीमाशुल्क द्वारा जब्त किए गए और बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में सीमाशुल्क गोदामों में पड़े कीमती माल का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

सीमाशुल्क गृह	सोना	चांदी	हीरे/बहुमूल्य रत्न
बम्बई	25.33	3.44	14.95
कलकत्ता	4.81	0.14	0.28
दिल्ली	0.38	0.53	0.73
मद्रास	4.91	1.34	2.64

आंकड़े अन्तिम है।

सोने और चांदी की तस्करी

2712. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात में कितनी मात्रा में तस्करी किया हुआ सोना और चांदी जब्त की गयी और उसका कुल मूल्य कितना है।

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) सरकार ने सोने और चांदी की तस्करी रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात में पकड़े गये सोने और चांदी की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है:—

सोना		चांदी	
मात्रा किलोग्राम में	मूल्य लाख रुपयों में	मात्रा किलोग्राम में	मूल्य लाख रुपयों में
7.099	30.53	507.800	29.43

(ख) इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ अभियोजन चलाया गया है।

(ग) तस्करी-रोधी एजेंसियां सोने और चांदी सहित सभी तरह की तस्करी की गतिविधियों के प्रति सतर्क हैं। धातु-खोजियों और एक्सरे मशीनों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।